तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 50/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
26.12.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोल रोड़, डबानी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.11.2023 को मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोड रोड़, डबानी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk का नमूना संख्या S-2239 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2961/Act/2023/3004 दिनांक 16.11.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी हरीसिंह इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। प्रतिवादी हरीसिंह ने सुनवाई तिथि 18.12.2024 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म व गलती स्वीकार की। प्रतिवादी हरीसिंह द्वारा जुर्म/गलती स्वीकार किये जाने से प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को ही प्रतिवादी को सुना गया। जिसने यह अनुरोध किया कि वह गांव के पशुपालकों से दूध खरीद कर विक्रय करता है, इसमें उसने कोई मिलावट नही की हैं, यह उसकी प्रथम गलती है। अतः प्रकरण में कम जुर्माना करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 03.11.2023 को मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोल रोड़, डबानी, तहसील– रेवदर में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले) के अन्दर फ्रिजर में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Mix Milk लगभग 70 लीटर में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने हेतु इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री श्रवणसिंह देवड़ा, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– भारमलसिंह की ढाणी, झाबरा, तहसील– भिणियाना, जिला– जैसलमेर को भरकर दी एवं गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में Mix Milk को हिला मिलाकर उसमें से 2 लीटर Mix Milk को एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 120/– (अक्षरे रुपये एक सौ बीस मात्र) ....लगातार	

न्यायालय प्राधि० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

प्राधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 50/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए

प्रतिवादी विक्रेता को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीद शुदा Mix Milk को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों शीशीयों को ढक्कनों से एयरटाईट बन्द कर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना शीशीयों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना शीशीयों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Mix Milk की चारों नमूना शीशीयों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 06.11.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दन दास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 03.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोल रोड़, डबानी में प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित से खाद्य पदार्थ Mix Milk को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk के नमूना संख्या S-2239 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./2961/Act/2023/3004 दिनांक 16.11.2023 में खाद्य पदार्थ Mix Milk का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह

.........लगातार

विशि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 50/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

राजपुरोहित ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोल रोड़, डबानी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हरीसिंह पुत्र पदमसिंह जी राजपुरोहित, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स हरीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित (मावे वाले), सापोल रोड़, डबानी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.01.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)